गाय पर शेर–चीता की राजनीति–

1– भारत की राजनीति देश को सत्ता पक्ष और विपक्ष के रूप में दो धुर्वो में बांट रही है। एक तरफ सत्ता पक्ष चीता मंगा कर बहुत प्रसन्न हो रहा है कि हमने भारत को विदेशों से चीता मंगा कर दिया है लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यह प्रतिक्रिया दी है कि हमारे पास राहुल गांधी नामक शेर है जो पदयात्रा कर रहा है। इस तरह सत्तापक्ष देश को चीता देकर प्रसन्न हो रहा है और विपक्ष देश को शेर देकर प्रसन्न हो रहा है। भाई, हम न तो चीता के पक्षधर हैं न शेर के पक्षधर हैं। हम तो उस गाय के पक्षधर हैं जिसकी गांधी ने प्रशंसा की थी। गांधी ने चीता और शेर की प्रसंशा नहीं की थी।

आज हमारे देश में सत्तारूढ़ दल और विपक्ष चीता और शेर बनने पर बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं। यह सच्चाई है कि पूरे के पूरे राजनेता अपने को शेर समझते हैं और आम जनता को गाय बनने के लिए प्रेरित करते हैं। आज एक भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो अपने को शेर न समझता हो। इसलिए अब समय आ गया है कि गाय और शेर–चीता के बीच की दूरी को घटाने की बात सोची जानी चाहिये। हमें अपने देश में चीता और शेर की नहीं, हमारे देश की गायों को बचाने की जरूरत है। इसलिए मैं गांधी मार्ग का पक्षधर हूँ, मैं अहिंसा का पक्षधर हूँ। मैं किसी भी रूप में शेर और चीता की संस्कृति को ठीक नहीं समझता।

विडंबना –

2– पूर्वी भारत में एक व्यक्ति पिछली सीट पर बिना सीट बेल्ट के बैठा था और दुर्भाग्यवश उस कार का एक्सीडेंट हो गया। उस समय उस व्यक्ति की तत्काल मौत हो गई। इस पर पूरे देश का प्रशासन चिंतित हो गया। पूरे देश भर के लोगों पर कार में पीछे की सीट पर बैठने के लिए भी सीट बेल्ट अनिवार्य करने की योजना बनने लगी। दिल्ली में तो बाकायदा यह आदेश लागू भी कर दिया गया। एक व्यक्ति की जान का इतना महत्व है कि हमारी पूरी सरकार देश के करोड़ों लोगों को प्रतिदिन चलने के लिए सीट बेल्ट लगाने के लिए बाध्य करेगी और उन्हें दंडित करेगी एवं उनसे पैसे वसूल करेगी। क्योंकि हमारी सुरक्षा के मामले में बहुत संवेदनशील है।

दूसरी ओर आज ही का समाचार है कि हमारे छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में हाथियों ने दो लोगों की हत्या कर दी। इस घटना का ना कोई समाचार कहीं प्रकाशित हुआ और ना कोई चर्चा हुई। इतना ही नहीं, नक्सलवादियों ने तीन लोगों की हत्या कर दी। लेकिन हम उसके प्रति इतने चिंतित और संवेदनशील नहीं है जितने सीट बेल्ट के प्रति। मैं सोचता हूँ कि अपराधों के प्रति या पशुओं द्वारा मारे गए लोगों के प्रति हम इतने संवेदनशील क्यों नहीं हैं जितना सीट बेल्ट या अन्य मामलों में। हम महिला उत्पीड़न के मामले में काफी संवेदनशील हैं जब कि आज महिलाएं किस तरह ब्लैकमेल करती हैं इस विषय को हम समझना नहीं चाहते।

देखा गया है कि किसी एक मामले को हाइलाइट करके हमारी न्यायपालिका उस प्रकरण को मात्र दो महीने में निपटा कर अपनी पीठ थपथपाती है और लाखों मामले ऐसे है जो बीसों साल से पीछे खिसकते रहते हैं। न्यायपालिका को उसके लिए किसी प्रकार की चिंता नहीं है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि हम नमूना दिखा करके जनता को ठगने की कोशिश ना करें। हम प्राथमिकताओं को ठीक से समझें। यह सीट बेल्ट वाली घटना या कोई एक–दो अति संवेदनशील मुकदमे न्यायालय द्वारा निपटा देना या महिलाओं की चिंता करना, न्यायालय की यह नाटकबाजी उचित नहीं है। हमें अपराध नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। हाथी, चीता और शेर आदि जानवरों को बहुत ज्यादा महत्व देना उचित नहीं है। सर्वप्रथम तो मनुष्यों के बारे में ही कुछ सोचा जाना चाहिए।

कामकाज के सरकारी रंग–ढंग और रवैया से तबाह होती सार्वजनिक संपत्ति –

3– मैं रामानुजगंज में रहता हूँ जहाँ से कुछ दूरी पर उत्तर प्रदेश का बॉर्डर शुरू हो जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ मिलकर आज से 45 वर्ष पहले कन्हर नदी पर एक बांध बनाना शुरू किया था। उस समय की योजना अनुसार उसकी लागत करीब तीस करोड़ आँकी गई थी। कुछ जमीनों के बदले मुआवजे भी दिए गए और काम शुरू भी हुआ, लेकिन विभिन्न कारणों से काम कई बार रुका और चालू होता रहा। मैंने स्वयं देखा कि उस बांध के लिए आया हुआ सामान खुलेआम चोरी होता था। ऐसे लगता था कि जैसे वह लावारिस पड़ा हुआ हो। शासकीय कर्मचारी मिलजुल कर सामान बेचते भी थे और समय के साथ सामान खराब भी होता रहता था।

आज लगभग पैतालीस वर्ष बीत गए हैं और अब उस बांध की कुल लागत 2200 करोड़ तक पहुंच गई है जो उस समय की लागत से करीब 70 गुना अधिक हो गई है फिर भी अभी बांध के पूरा होने में दो–तीन वर्ष का समय और लग सकता है। आश्चर्य है कि काम तो लगातार चल रहा है, खर्च भी किया जा रहा है और उसका लाभ भी जनता को नहीं मिल रहा हैं। बांध निर्माण में 45 वर्षों का समय और 30 करोड़ की जगह 2200 करोड़ की लागत कोई सामान्य घटना नहीं है। लेकिन भारत में प्रायः सभी योजनाओं में ऐसा आमतौर पर होता रहता है। यही कार्य यदि किसी निजी संस्था के द्वारा होता या निजी संस्था का होता तो उस पैसे और समय का महत्व पता चलता। लेकिन यह तो आम जनता का पैसा है इसी लिये इसमें ना पैसे का महत्व है और ना समय का। परिणामस्वरूप कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। नवीन योजनानुसार अभी शेष बांध निर्माण में और 3 वर्ष लगने का अनुमान है लेकिन निश्चित नहीं है कि यह कार्य 3 वर्ष में पूरा हो ही जायेगा या और 13 वर्ष लग जाएंगे। निष्कर्षतः जनता के पैसे के महत्त्व को रेखांकित करने की आज बहुत आवश्यकता है। मैं स्वयं कई बार इस तरह की कुव्यवस्था का प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ।

4– ऐसी ही एक सरकारी लापरवाही हमारे शहर के बिल्कुल निकट भी देखने को

मिली। स्वतंत्रता के समय ही झारखंड से छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाली एक रेलवे लाइन का काम शुरू हुआ था। कई जगह स्टेशन भी बने और नदियों पर पुल भी बने, बड़ी मात्रा में अर्थ वर्क भी होता रहा। एकाएक पैसे की कमी होने के कारण सन 1956 में थोड़े समय के लिए काम रोक दिया गया। इस योजना के प्रारंभ हुये अब तक 65 वर्ष बीत चुके हैं। प्रतिवर्ष भारत सरकार अपने बजट में कार्य को आगे बढ़ाने की घोषणा करती है और फिर अगले वर्ष के लिए उसे टाल दिया जाता है। बदलते समय के साथ योजना की लागत कितनी बढ़ गई इसका कोई सही अनुमान नहीं है। यदि सरकार की नजर में योजना अनावश्यक थी तो उसे बंद कर देना चाहिए था लेकिन इस पर बिना समीक्षा किये ही प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ विचार और घोषणाएं होती रहती हैं। मेन लाइन के ठीक बगल से छत्तीसगढ़ की ओर से एक रेलवे लाइन आधी दूर तक बन चुकी है जिस पर रेल चल रही है और झारखंड की दिशा से जो रेल लाइन आ रही थी, उसका काम अधूरा हैं।

स्पष्ट है कि दोनों अधूरी रेल लाइनों को जोड़ने के लिए कितना पैसा लगेगा और कितना नुकसान होगा इसकी किसी को चिंता नहीं है। सरकारी धन का इस तरह खुलेआम दुरुपयोग देखकर बहुत तकलीफ होती है लेकिन पूरे देश में ऐसा ही हो रहा है। उदाहरण के तौर पर दोनों घटनाएं सिर्फ हमारे जिले से संबंधित है, पूरे देश का क्या हाल होगा यह तो आप लोग ही बता सकते हैं। यदि यह रेलवे लाइन अथवा बांध सरकारी सेक्टर में ना होकर प्राइवेट सेक्टर में होते तो कब के पूरे हो गये होते। किंतु सरकारी विभाग इसी तरह भ्रष्टाचार और लापरवाही को आधार बनाकर आम जनता से मनमाना टैक्स वसूलता रहता है और सरकारी चमचे खुलकर निजीकरण का विरोध करते रहते हैं। निजीकरण विरोधियों को मेरी इस टिप्पणी पर उत्तर देना चाहिए।

5– मैंने अपने जिले के पश्चिम की ओर अमवार बांध के सरकारी प्रगति का विवरण कल आपको दिया था उसके बाद मैंने पूर्व की ओर झारखंड से निकल रही रेल लाइन का भी विवरण आपके सामने रखा था आज मैं अपने जिले के दक्षिण दिशा में किस तरह सरकारी योजनाओं में धन की बर्बादी की है वह भी प्रस्तुत कर दे रहा हूँ। हमारे शहर से 15 किलोमीटर दूर पर एक गर्म पानी का स्रोत है जो भारत में ऐसा अकेला स्रोत है जहाँ बिजली बहुत आसानी से बनाई जा सकती है। यहाँ का पानी बहुत अधिक गर्म है और 50 प्रतिशत तक भाफ बन कर निकलता है। उपलब्ध पानी की मात्रा भी बहुत अधिक है। उसमे गंधक भी नहीं है और जिस स्रोत का पानी 50 फुट ऊपर तक दिखता है उसे बंद करके रखा गया है। उस पानी की खोज के लिए सरकार ने अरबों रुपए खर्च किए। उस पर कई वर्षों तक रिसर्च भी हुआ और यह पाया गया कि बिजली बनाने के लिए यह स्थान बहुत उपयुक्त है, यहाँ सस्ती बिजली बन सकती है। सब प्रयोग कर चुकने के बाद भारत सरकार ने बिजली बनाने का जो ठेका विदेशी कंपनी देना चाहा। हमारे देश के उस विभाग के सभी सरकारी

कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी कि इसका सारा निर्माण सरकारी होना चाहिए किसी विदेशी कंपनी को हम ठेका नहीं देने देंगे।

उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी। हड़ताली कर्मचारियों के सामने सरकार झुक गई और परियोजना रोक दी गई जो आज तक रुकी हुई है। सोचने वाली बात है कि देश का सत्यानाश भले ही हो जाए लेकिन हम निजी हाथों द्वारा काम नहीं देंगे। देश में बिजली भले ही पैदा ना हो लेकिन हम तो सारा काम नेहरू की नीति पर ही करेंगे, इस जिद के कारण आज तक बिजली उत्पादन की एक बहुत बड़ी परियोजना शुरू नहीं हो सकी। मेरे विचार से नेहरू की यह नीति पूरी तरह गलत रही है। नेहरू ने जितना विकास को योगदान दिया है उससे कई गुना विकास को रोका है। पिछले 70 वर्षों में चीन इतनी प्रगति कर गया और भारत इतना पिछड़ गया क्योंकि हमने चीन की औद्योगिक नीति की आधी–अधूरी नकल की। उचित तो यही होता कि या तो हम चीन की नकल करके पूरी तानाशाही की ओर चल पड़ते अथवा चीन की बिल्कुल नकल ना करके उद्योगों का निजीकरण कर देते तो आज भारत अमेरिका की दिशा में चलकर बढ़ा होता या चीन की दिशा में आगे बढ़ता। कम से कम भारत इस तरह से अमेरिका और चीन का पिछलग्गू नहीं बनता। इसलिए मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि हमारे जिले में तीनों परियोजनाओं में नेहरू का अंधानुकरण करने के कारण विकास कार्य रुका लेकिन अब धीरे–धीरे मोदी सरकार निजीकरण की तरफ बढ़ रही है। आज भी नेहरू परिवार और उनके चमचे फिर से निजीकरण को रोककर उसी सरकारी व्यवस्था की ओर बढ़ना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के हमारे बलरामपुर जिले में हमने जो आपको सरकारी योजनाओं का हाल दर्शाया है जिसमें बांध का जिक्र है, रेल लाइन का जिक्र है और बिजली उत्पादन की संभावना का जिक्र है। मेरा आपसे निवेदन है कि नेहरू की गलत आर्थिक नीतियों को पूरी तरह से तिलांजलि देने की जरूरत है।

संतुलित भारतीय राज्य–समाज व्यवस्था –

6– आदर्श स्थिति में, राज्य व्यवस्था में न्याय और सुरक्षा का दायित्व राज्य का होता है। सत्य और अहिंसा मार्ग होता है। किंतु परिस्थिति अनुसार, न्याय और सुरक्षा के लिए सत्य और अहिंसा को छोड़ा जा सकता है। तथा, समाज व्यवस्था में सत्य और अहिंसा हमारा लक्ष्य होता है एवं न्याय और सुरक्षा मार्ग होता है। यहां सत्य और अहिंसा के लिए न्याय और सुरक्षा को छोड़ा भी जा जा सकता है। इस तरह हम देखते हैं कि समाज और राज्य की भूमिकाएं अलग–अलग बँटी हुई होती है। लेकिन वर्तमान दुनियाँ में इस्लाम और ईसाइयत ने समाज व्यस्था का सारा गणित गड़बड़ कर दिया। इस्लाम न्याय और सुरक्षा के नाम पर समाज को भी अहिंसा और सत्य को छोड़ देने की सलाह देता है। ईसाइयत सत्य और अहिंसा के लिए राज्य को भी सुरक्षा और न्याय छोड़ने की सलाह देता है। ईसाइयत जहाँ राज्य को भी अहिंसा और सत्य की दिशा में चलने को प्रेरित करती है वहीं इस्लाम समाज को भी हिंसा

और असत्य की दिशा में प्रेरित करता है। यह दोनों ही स्थितियाँ गलत है।

हमें आदर्श स्थिति की दिशा में बढ़ना चाहिए अर्थात राज्य को सुरक्षा और न्याय की चिंता अधिक करनी चाहिए। इसके लिये भले ही हिंसा और असत्य का सहारा लेना पड़ जाये। तथा, समाज को हमेशा अहिंसा और सत्य की ही चिंता करनी चाहिए। इसके लिये भले ही न्याय और सुरक्षा कमजोर क्यों ना हो जाए। हमें इस्लाम और ईसाइयत की तुलना में अपनी संतुलित भारतीय समाज प्रणाली का मार्ग अपनाना चाहिए। राज्य को अधिकतम हिंसा की दिशा में बढ़ना चाहिए और समाज को अधिकतम अहिंसा की दिशा में बढ़ना चाहिए।

भारत में वर्तमान विकास दर बनाम वास्तविक विकास –

7– सारी दुनियाँ में दो विपरीत और विरोधाभासी प्राथमिकताओं को एकसाथ लागू करने का चलन बढ़ता ही जा रहा है। भारत में तो यह प्रवृत्ति बहुत ही अधिक है। यहाँ तो मान्यता प्राप्त शब्दों की परिभाषाएं बदल दी जाती हैं और नई परिभाषाएं बनाकर विपरीत दिशाओं में चलने की असफल कोशिश होती रहती है जिसका परिणाम होता है अव्यवस्था।

धर्म, समाजवाद और बेरोजगारी जैसे शब्दों की परिभाषाएं जिस तरह बदल दी गईं उसी तरह विकास की भी परिभाषा बदल दी गई है। दुनियाँ भर में विकास की गलत परिभाषा को आधार बनाकर अव्यवस्था फैलाई जा रही है। भौतिक विकास को ही विकास का एकमात्र मापदंड मान लिया गया है और उसी मापदंड के आधार पर भारत भी भौतिक विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील है जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरण सम्बन्धी अनेक समस्याएं पैदा हो रही हैं। व्यक्ति का नैतिक पतन भी होरहा है। आज भारत में कृत्रिम उर्जा का उपयोग इसलिए बढ़ाया जा रहा है ताकि भारत की विकास दर आगे बढ़े। इस कृत्रिम उर्जा के उपयोग के कारण श्रम शोषण हो रहा है और विदेशी कर्ज भी बढ़ रहा है। कृत्रिम उर्जा के उपयोग से अर्थव्यवस्था असंतुलित हो गई है, जनता पर मनमाने टैक्स लगाए जा रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है फिर भी इसका अनावश्यक उपभोग बढ़ाया जा रहा है। इसका मुख्य कारण है कि हम विकास दर को सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं। मेरा मानना है कि यदि परीक्षा पास करना ही उद्देश्य बना लिया जाए तो रोजगार प्राप्त करने में तो सुविधा हो जाएगी किंतु व्यक्ति की क्षमता, योग्यता और ज्ञान को भारी नुकसान पहुंचेगा। फिर भी हम परीक्षा को ही महत्व दे रहे हैं। जबकि हमे क्षमता, योग्यता और ज्ञान को महत्व देना चाहिये था। इसी तरह हम विकास दर को भी महत्व दे रहे हैं ना कि रोजगार सृजन को। यदि एक या दो वर्षों के लिए विकास दर को महत्व ना दें तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा लेकिन बहुत सी आर्थिक समस्याओं का अपने आप ही समाधान हो जाएगा। देश में आधारभूत संरचनाओं को अधिक महत्व दिया जाए, रोजगार सृजन को महत्व दिया जाय जिस पर विकास का भविष्य निर्भर करता है। हमें चाहिए कि हम दुनियाँ में विकास दर की

नई परिभाषा बनाने की मांग करें और कुछ समय के लिए विकास दर की तुलना में अपने अन्य आर्थिक समस्याओं के समाधान को अधिक महत्व दें।

जन जागरण ही काले कानूनों का एकमात्र समाधान –

8– मेरे एक मित्र ने लिखा है कि अब वर्तमान मोदी सरकार पर दबाव बनाने की जरूरत है कि वह वक्फ एक्ट (Waqf Act) 1995, पूजा स्थल कानून (Places of Worship Act) 1991, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम (The National-Commission for Minorities Act) 1992, यह तीनों कानून समाप्त करे क्योंकि यह तीनों ही कानून नरसिंह राव सरकार के समय बने थे। उस समय तो नरसिंह राव को संसद में बहुमत नहीं था लेकिन आज सरकार को संसद में पूर्ण बहुमत है, बल्कि अधिक बहुमत है। इसके बावजूद भी यह तीनों कानून नहीं हट रहे हैं। मैं अपने मित्र की बात से सहमत नहीं हूँ। इस समय सरकार पर दबाव बनाने की आवश्यकता नहीं है बल्कि सरकार को समर्थन देने की जरूरत है। इस समय विपक्ष पर दबाव बनाने की जरूरत है। इस समय जन जागरण की जरूरत है कि जनता इन तीनों कानूनों के बदलाव के लिए उठ खड़ी हो और विपक्ष मजबूर हो जाए। इस के लिए हमें केवल सरकार पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। अब भी सरकार को संसद में दो–तिहाई बहुमत प्राप्त नहीं है। हम संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते। हम न्यायालय का भी उल्लंघन नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थिति में सरकार पर दबाव बनाने की योजना ठीक नहीं है क्योंकि इससे विपक्ष को ताकत मिलेगी और सरकार कमजोर होगी। ऐसा करना ठीक नहीं है। इसलिए मेरा फिर से निवेदन है कि हमारे मित्र अपने सुझाव पर दुबारा विचार करें। मुझे उनकी नीयत पर संदेह नहीं है लेकिन उनकी नीति गलत है। इन तीनों कानून के खिलाफ जन जागरण के लिए मैं पूरी तरह सक्रिय हूँ और सहमत भी हूँ। इन तीनों काले कानूनों के विरुद्ध यदि जनता आवाज उठाती है और कानूनों को समाप्त करने की या कानूनों में बदलाव करने की मांग करती है तो सरकार और विपक्ष दोनों पर दबाव बनेगा। जनता के इस दबाव से विपक्ष कमजोर होगा सरकार का विरोध करने में, और सरकार मजबूत होगी काले कानूनों में बदलाव कर पाने के लिए, पर सीधे–सीधे केवल सरकार सरकार पर दबाव बनाया जाए इसके लिए मैं सहमत नहीं हूँ।

कश्मीरी पंडितों का व्यर्थ का हंगामा –

9– कश्मीर के वे सरकारी कर्मचारी जो कश्मीरी पंडित है, उन लोगों ने बहुत ड्रामा शुरु किया हुआ है। उन्होंने यह मांग करते हुये एक आंदोलन शुरू किया है कि उन्हें सुरक्षित जगहों पर नौकरी दी जाए। यह बड़ी विचित्र बात है कि उन्हें सुरक्षित जगह पर नौकरी करनी है। आप कहीं भी मजदूरी करने के लिये स्वतंत्र है लेकिन सरकारी नौकरी करने के लिए आप सरकार पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकते। जिस समय कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हो रहा था वह एक अलग बात थी कि उस समय तो डर कर सभी भाग गए थे लेकिन अब कश्मीरी पंडितों पर कोई

अत्याचार नहीं हो रहा है। इसके बावजूद भी ये लोग ड्रामा कर रहे हैं जो सरासर गलत है। सरकार को इस प्रकार के लोगों का वेतन बंद करना ही चाहिए। यदि सरकार ऐसा सोच रही है तो ठीक दिशा में सोच रही है। यह सहानुभूति के पात्र अब नहीं है। एक तरफ सरकारी नौकरी भी करेगें और दूसरी तरफ काम नहीं करेंगे और अब तीसरी तरफ वेतन भी लेंगे, यह तो बहुत ही विचित्र बात है। कश्मीरी पंडित हो जाने का मतलब यह नहीं है कि आपको देश लूटने का अधिकार मिल गया है। चूंकि कश्मीर में अब कोई खतरा नहीं है, कश्मीर में शांति स्थापित हो गई है इसलिये सरकार का समर्थन करने की जरूरत है, नाटक करने की जरूरत नहीं है।

एक सलाह, रूसी राष्ट्रपति पुतिन को –

10– यूक्रेन युद्ध के बाद रूस के राष्ट्रपति ने जो मूर्खता की है उससे रूस की पूरी पोल–पट्टी खुल गई है। साफ–साफ दिख रहा है कि यूक्रेन मामले में रूस पीछे हटना चाहता है लेकिन पुतिन की अकड़ के कारण वह पीछे नहीं हट रहा है। पिछले छः महीने से पुतिन दुनियाँ को विश्व युद्ध की धमकी दे रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने कुछ अधिक ही गंभीरता से परमाणु हमले की धमकी दी है। लेकिन दुनियाँ के किसी भी देश पर इस धमकी का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है। ऐसा लगता है कि रूस अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए बार–बार परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। यूक्रेन सरीखे छोटे से चूहे जैसे देश से रूस जैसी महाशक्ति निपट नहीं पा रही है तो इतनी बड़ी–बड़ी बातें करने का क्या औचित्य है?

पुतिन का रूस में भी विरोध बढ़ता जा रहा है। चीन ने बहुत ही बुद्धिमानी की जो ताइवान के मामले में उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। अन्यथा चीन की भी वही दुर्गति होती जो वर्तमान में रूस की हो रही है।

अब दुनियाँ में तानाशाही का कोई भविष्य नहीं बचा है। अब पूरी दुनियाँ लोकतांत्रिक दिशा में मजबूत होती जा रही है। पुतिन सरीखे लोगों को यह बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना ही अच्छा है अन्यथा पुतिन भी हिटलर के रास्ते पर चलकर खत्म हो जाएंगे और अपने साथ–साथ रूस को भी बर्बाद कर देंगे। मेरा तो राष्ट्रपति पुतिन को एक सुझाव है कि ऐसी हालत में मुट्ठी बंद रखना ही बुद्धिमानी है अन्यथा दुनियाँ को पता चल जाएगा कि तानाशाह की मुट्ठी में कुछ होता नहीं है और नाटकबाजी बहुत होती है।

मोदी भागवत की जोड़ी दे रही सांप्रदायिकता से मुक्ति–

11– संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने मस्जिद में जाकर वहाँ के प्रमुख मुस्लिम धर्मगुरुओं से चर्चा की। उन्होंने मदरसे में जाकर बच्चों से भी बातचीत की। उनकी यह बात ओवैसी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट तथा सावरकरवादियों में से किसी को भी अच्छी नहीं लग रही है। जब से नरेंद्र मोदी तथा मोहन भागवत गांधी जी की लाइन पर चल रहे हैं तब से ही सभी सावरकरवादी बहुत परेशान हो गए हैं। जो गांधीवादी

तथा कांग्रेसी गांधी के नाम से अब तक दुकानदारी करते रहे थे उन्हें भी यह बात बहुत बुरी लग रही है कि भारत का प्रधानमंत्री और हिंदुओं का प्रमुख संघ नेता गांधी जी के लाइन पर जा रहे हैं। उन्हें डर है कि इससे तो उनकी इस दुकानदारी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। दूसरी ओर जो लोग गांधी जी को गाली देकर अब तक दुकानदारी कर रहे थे उन्हें भी यह बात बहुत खटक रही है। पिछले चुनावों में गांधी को गाली देने वाले लोगों ने ही एकजुट होकर नरेंद्र मोदी को वोट दिया था। इन्हीं लोगों ने देश भर में संघ को भी ताकत दी है। अब नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत यह दोनों ही गांधी की लाइन पर जा रहे हैं तो इससे इनकी भी दुकानदारी धीरे–धीरे खत्म हो जाएगी। इस तरह यह साफ दिख रहा है कि सभी कट्टरपंथी ताकतें मोहन भागवत जी के मस्जिद जाने से, सामाजिक सदभाव एवं एकता की नीति से बहुत परेशान हो रहे हैं चाहे वह कोई भी हो कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट अथवा गांधीवादी या सावरकरवादी।

मैं भागवत जी के इस प्रयास की भूरी–भूरी प्रशंसा करता हूँ। सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनियाँ को गांधी का मार्ग ठीक दिशा में ले जाने में सक्षम है। हिंदुत्व को आगे बढ़ाने में भी गांधी का मार्ग ही सबसे अच्छा मार्ग है। सांप्रदायिक ताकतों को यह बात समझनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की जोड़ी धीरे–धीरे सांप्रदायिकता मुक्त भारत की दिशा में कदम बढ़ारही है।

<u>सरकारी आश्रय स्थल ही अब एकमात्र विकल्प</u> –

12– खबर के मुताबिक छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में एक व्यक्ति ने अपनी बीमार मां की सेवा करने से परेशान होकर उसकी हत्या कर दी। वैसे तो किसी भी दृष्टि में हत्या करना उचित नहीं था लेकिन विचारणीय प्रश्न यह है कि इस हत्या के लिए वह लड़का कितना दोषी है, कितना समाज और कितनी सरकार। यदि गंभीरता से सोचें तो लड़का हत्या नहीं करना चाहता था लेकिन माँ बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। वह दैनिक क्रिया में भी लाचार थी इस लिये भारी परेशानी के बाद लड़के ने यह गलत मार्ग चुना। यह सही है कि ऐसा करना ठीक नहीं था लेकिन यह दुविधा तो घर–घर की कहानी है अतः इसके उपाय का मार्ग खोजा जाना चाहिए। समाज इसके लिए दोषी नहीं है क्योंकि सरकार ने समाज के अस्तित्व को ही नकार दिया है। इसलिए इस समस्या का स्थाई समाधान सरकार को करना चाहिए। कई बार खबरें आती हैं कि माताएं भी गरीबी के कारण अपने बच्चों को परवरिश देने से लाचार हो जाती है और मजबूरी में आत्महत्या कर लेती है। ऐसे सभी मामलों में सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मेरे विचार से इस प्रकार के सरकारी आश्रय–स्थल बनाए जाएं जहाँ कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के किसी भी जीवित सदस्य को शामिल करा सके। परिवार के लिए यह आवश्यक होगा कि वह अपने परिवार की पूरी संपत्ति में से, सदस्य संख्या के आधार पर उस एक सदस्य का हिस्सा, आश्रम स्थल में जमा कर दें। उसके बाद सारी जिम्मेदारी सरकार की मानी

जाएगी। इस तरह बहुत से लोगों की जान बचाई जा सकती है और अनेक परिवारों को इस संकट से राहत भी मिल सकती है। मैं तो लंबे समय से इस सुझाव को ठीक मानता रहा हूँ।

राज्य की बदल चुकी प्राथमिकताएं चिंता का विषय –

13– वर्तमान में मैं छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में रहता हूँ। छत्तीसगढ़ आमतौर पर शांत प्रदेश माना जाता है। यहां की सरकारें भी अपने को संवेदनशील मानती है। वर्तमान समय में इस क्षेत्र का हाल यह है कि रायपुर शहर में छूरेबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पिछले दस वर्षों में ऐसी घटनाओं में लगभग दस गुना तक की वृद्धि हुई है। यहँ आप यदि शहर में कोई जमीन खरीदना चाहते हैं तो किसी नामी गुंडे या नेता का फोन आ जाए तो आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आप वह जमीन खरीद सकें। कोई नामी बदमाश चंदा मांगने आ जाए तो अपनी सुरक्षा के लिए आपको उसे चंदा देना पड़ेगा या किसी दूसरे बड़े अपराधी से सुरक्षा मांगनी पड़ेगी। नक्सलवादी का डर भी अभी तक पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है।

दूसरी ओर हमारी सरकार भी बहुत सक्रिय है। कल ही हमारे मुख्यमंत्री ने सरकार की तीन महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं घोषित की है। उन्होंने कहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ में सट्टा का खेल पूरी तरह बंद होना चाहिए। इस संबंध में पुलिस को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हमारी सरकार ने बहुत तत्परता से गांजा और हुक्का बार भी रोक दिया। कई लोग जेलों में बंद किए गए हैं। हमारी सरकार ने स्पा सेंटर में चलने वाले देह व्यापार पर भी सफलतापूर्वक रोक लगाई है। हमारे छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी भी बढ़ती शराब के खपत से बहुत अधिक चिंतित है। वह भी चाहती है कि छत्तीसगढ़ में प्राथमिकता के आधार पर शराबबंदी होनी चाहिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हमारी राजनीति की प्राथमिकताएं क्या हैं? जबकि यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि 'राज्य' नामक संस्था का गठन ही लोगों की सुरक्षा और न्याय की दृष्टि से होता है। दादागिरी, गुंडागर्दी, लूटपाट और हिंसा रोकने की तुलना में शराब, गांजा, सट्टा और व्यभिचार को प्राथमिकता देते हुए सरकार का नीतियों को तय करना उचित नहीं है। प्राथमिकता के आधार पर हमें किस दिशा में जाना चाहिये, इस पर गंभीर विचार करने की जरूरत है।

हिंदुत्व संस्कृति वर्तमान समाज की अनिवार्य आवश्यकता–

14 – जब भारत गुलाम था तो भारत में हिंदुत्व पर कोई खतरा नहीं था क्योंकि अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ा–भिड़ा कर अपना शासन बनाए रखना चाहते थे, इसी लिये वह किसी एक के पक्षधर नहीं थे। गुलामी के विरूद्व संघर्ष में हिन्दू मुसलिम एकता की मजबूती आपसी सामाजिक सदभाव को बढ़ावा देता था लेकिन स्वतंत्रता के बाद देशवाशियों की हिन्दू मुसलिम एकता की कोई मजबूरी नहीं रह गयी थी। जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ तब हिंदुत्व पर खतरा आया, कारण कि कांग्रेस पार्टी, मुसलमान और कम्युनिस्ट इन तीनों के बीच में हिंदुओं के

खिलाफ एक नापाक समझौता हुआ और उस समझौते के अनुसार हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया गया। मुझे अच्छी तरह याद है कि 10 वर्ष पहले तक भारत में 'गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ, 'मुझे अपने हिंदू होने पर गर्व है', 'मुझे अपने हिंदू धर्म पर गर्व है', 'मुझे हिंदुत्व पर गर्व है', जैसा कुछ बोलने में भी डर लगता था क्योंकि उस समय हिंदू बोलने का मतलब होता था सांप्रदायिक होना। पिछली सरकार कुछ ऐसे कानून भी लाना चाह रही थी जिसके तहत मुसलिमों को आम नागरिकों की अपेक्षा कुछ ज्यादा अधिकार मिले। उस समय सचमुच में हिंदुत्व पर खतरा था और हिंदुत्व को सुरक्षा की जरूरत थी।

अब नरेंद्र मोदी के आने के बाद हिंदुत्व पर कोई खतरा नहीं है। अब हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं और समानता के आधार पर आगे बढ़ सकते हैं। यदि हम सारे समाज को ध्यान में रखें तो आज के ऐसे वातावरण में यह स्पष्ट है कि हिंदुत्व की सुरक्षा से भी ज्यादा जरूरी 'हिंदुत्व–विस्तार' है। अर्थात, अब पूरी दुनियाँ में 'वसुधैव कुटुंबकम' का विचार रखने वाले हिंदुत्व का विस्तार या फैलाव होना चाहिए। हमारी सारी पुरानी नीतियाँ बदल दी जानी चाहिए। हमें अब नेहरू कालीन हिंदुत्व की नीतियाँ नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय हम संकट में थे इस लिये हमें सुरक्षा की जरूरत थी। आज सारा समाज संकट में है इसलिए आज हमें हिंदुत्व–विस्तार की जरूरत है, और यह विस्तार होगा विचार–मंथन से, हिंदुत्व के गुणों के प्रचार–प्रसार से। आइए हम आप सब मिलकर आज की इस नई परिस्थिति में हिंदुत्व के विस्तार के लिए, संवाद का वातावरण बनाने हेतु विचार–मंथन करें। हमें घृणा फैलाने की, समाज में हिंसा करने की या आपसी व्यवहार में बल प्रयोग की जरूरत अब नहीं है। अब हिंदुत्व खतरे में नहीं है इस लिये अब दुनियाँ में हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिये परिस्थितियों में परिवर्तन करने की जरूरत है। अब हिंदुत्व दुनियाँ में विस्तार कर सकता है इसलिए नई परिस्थितियों के आधार पर हिंदुत्व को ढालने की कोशिश की जानी चाहिये। हम लगातार इसी दिशा में प्रयासरत हैं।

हत्या बलात्कार का रंज कम, मुआवजे की राजनीति ज्यादा –

15– वैसे तो देश में प्रतिदिन सैकड़ों गंभीर हत्याएं होती हैं लेकिन उनमें से किसी–किसी मामले को बहुत ज्यादा उछाला जाता है। उत्तराखंड में भी इसी तरह के एक मामले को अत्यधिक हाईलाइट किया गया। हाथरस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था और लखीमपुर की घटना से भी हम लोग अपरिचित नहीं हैं। बलात्कार के हर मामले इसी तरह तेजी से उछाले जाते हैं लेकिन जंगली हाथी यदि किसी को मार दे तो वह मामला कभी हाईलाइट नहीं होता है। मैंने अपने जिले में भी देखा है कि छोटे–छोटे मामलों में भी चक्का जाम करने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य कारण है कि इन घटनाओं के समर्थन में आंदोलन खड़ा कर देने के कारण सरकार अधिक मुआवजा देने लगी है। अब तो हालत यह हो गई है कि आंदोलन के लिए बाकायदा दुकानें खुल गई हैं। एनजीओ, मीडिया एवं विपक्षी दल

जब आन्दोलन के पक्ष में तीनों मिलकर एकजुट हो जाते हैं तो स्वाभाविक है कि मुआवजा कई गुना बढ़ जाता है और उस मुआवजे की अन्दरखाने बंदरबांट होती है। बलात्कार के मामले में भी मुआवजा मिलने के कारण धीरे–धीरे छोटी–छोटी बातों को बढ़ा–चढ़ा कर प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। दलित उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न, आदिवासी अत्याचार जैसे मामलों में तत्काल सरकारी सहायता भी इन सब दुकानदारों के लिए बड़ी सहायक बन रही है। बंधुआ मजदूरी की रिपोर्ट करने पर ब्लैकमेलिग की घटनाए अब कोई आश्चर्य की बात नहीं रह गयी है। बाल–श्रम के नाम पर ब्लैकमेलिंग की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। 2 प्रतिशत पेशेवर लोग महिला उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न, बाल–श्रम, बंधुआ मजदूरी और बलात्कार जैसे अनेक संवेदनशील मामलों में अपनी दुकानदारी बढ़ाते जा रहे हैं। हमारी सरकारें इन दुकानदारों से ब्लैकमेल होकर सरकारी धन लूटाते रहते हैं। इस दुष्चक्र को समझने और तोड़ने की जरूरत है। किसी भी घटना का लाभ उठाने के लिए मीडिया, विपक्ष, एनजीओ और अन्य ब्लैकमेलरों की सामूहिक मदद ली जाती है और आंदोलन खड़ा करके मुआवजा बढ़वाया जाता है। अब हम–आप को मिलकर, सारे समाज को ही इस विषय पर जागरूक करने की आवश्यकता है। जिस तरह उत्तराखंड की घटना में तिल का ताड़ बना कर प्रस्तुत किया गया, इसकी पूरी सम्भावना है कि यह सारा प्रयास सिर्फ मुआवजा बढ़वाने के लिये किया जा रहा हो। ऐसी सामाजिक समस्याएं जिस प्रकार से जटिल हो रही हैं, उस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

नरेंद्र मोदी और गांधी –

16– तत्काल यदि हम चाहें तो नरेंद्र मोदी और गांधी की तुलना नहीं हो सकती क्योंकि हमने गांधी जी के कार्य की समीक्षा उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की है जबकि नरेंद्र मोदी का भविष्य अभी बचा हुआ है। दोनों में एक अन्तर और है कि गांधी जी ने समाज विज्ञान पर सोचा और कार्य को आगे बढ़ाया जबकि नरेंद्र मोदी अभी राजनीतिक दिशा तक ही सीमित हैं। इसलिए दोनों में फर्क है फिर भी हो सकता है कि भविष्य में नरेंद्र मोदी गांधी से भी आगे निकल जाए। क्योंकि जिस तरह नरेंद्र मोदी ने दुनियाँ को अहिंसा का संदेश दिया है, रूस के राष्ट्रपति के सामने भी अहिंसा का महत्व समझाया है, वह कोई मामूली बात नहीं है।

नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमें कभी भी शांति प्रिय लोगों पर आक्रमण नहीं करना चाहिए और जो लोग शांति प्रिय लोगों पर आक्रमण करते हैं उन को दंड देने में भी देर नहीं करनी चाहिए। गांधी जी समाज विज्ञान पर कार्य कर रहे थे इसलिए वे हृदय परिवर्तन पर जोर देते थे। मोदी राजनीतिशास्त्र पर काम कर रहे हैं इसलिए अपराधियों को दंड देने में भी देर नहीं करते। जिस तरह मोदी ने इस्लामिक और साम्यवादी हिंसा पर नकेल लगाई है यह कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए गांधी जी और मोदी का मार्ग अलग–अलग होते हुए भी दोनों का लक्ष्य एक है और दोनों

ईमानदार हैं। दोनों की नीयत ठीक है और दोनों कुछ नया कर दिखाने की तमन्ना रखते हैं। इसलिए मैं अभी कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी और गांधी जी की तुलना नहीं हो सकती है। हो सकता है कि मोदी गांधी जी से भी आगे निकल जाए।

चिंतन निष्कर्ष –

17– यह एक अद्भुत संयोग ही कहा जाय कि मुझे दो दिनों तक पारिवारिक और सामाजिक जीवन से अलग हटकर पुर्णतः एकान्तवास में रहना पड़ा। मेरा मन जीवन का निचोड़ पाने के लिये इस बीच दिन रात मेहनत करता रहा। वर्तमान दुनियाँ की परिस्थिति और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की सामाजिक और राजनैतिक परिस्थितियों पर गहन चिन्तन करता रहा। मैनें इस विषय पर बहुत विचार किया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन पाँच राजनेताओं का हमारे देश की राजनीति में कितना अच्छा और कितना बुरा प्रभाव पड़ा था। ये पाँच राजनेता थे– भीमराव अंबेडकर, पंडित नेहरू, सरदार बल्लभ भाई पटेल, विनायक दामोदर सावरकर और नाथू राम गोडसे। इन पांचों में मुझे सबसे अधिक जो गलत लगा तो वे थे भीम राव अंबेडकर जिसकी नीति और नीयत ठीक नहीं थी। अंबेडकर जी ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए हमेशा अस्थिर वातावरण बनाया। उन्होंने तात्कालिक सभी राजनेताओं में से किसी की भी बात नहीं मानी और सिर्फ वर्ग–विद्वेष और वर्ग–संघर्ष की दिशा में काम करते रहे। उनमें ना तो देश के प्रति प्रेम था और ना ही समाज से कोई लगाव था क्योंकि उन्हें तो केवल सत्ता चाहिए थी। दूसरे नेता के रूप में हमने पंडित नेहरू की समीक्षा की। मैनें उनके राजनैतिक जीवन पर बहुत विचार किया। मुझे लगा कि पंडित नेहरू में 25 प्रतिशत देश प्रेम था और 75 प्रतिशत राजनैतिक स्वार्थ। यह बात अलग है कि पंडित नेहरू ही उस समय प्रधानमंत्री बनने योग्य थे क्योंकि नेहरू का विश्व स्तरीय सम्मान था और भारत में भी अपनी लोक प्रियता के कारण पटेल से ज्यादा उनकी पहचान थी। नेहरू में वो क्षमता थी कि वह देश भक्ति और विश्व व्यवस्था का सम्यक संतुलन कर सकते थे। पटेल की पहचान अति राष्ट्रवादी नेता की थी इसलिए उस समय प्रधानमंत्री पद के लिए नेहरू के अतिरिक्त कोई अन्य उपयुक्त व्यक्ति नहीं था। नेहरू को प्रघानमंत्री चुनने के पीछे यह हमारे सामने एक बड़ी मजबूरी थी। नेहरू की सबसे बड़ी बुराई यह थी कि वे सत्तालोलुप थे। उन्होंने ही सत्ता बनाये रखने के लिये मुसलमानों और कम्युनिस्टों के साथ समझौता किया और हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बना कर रखा। नेहरू तानाशाही प्रवृत्ति के थे और पटेल उनकी तानाशाही में बाधक थे। इसलिए नेहरू और पटेल में आपस में कभी नहीं पटती थी। पटेल हिंदुत्व को समझते थे और समर्थन भी करते थे जबकि नेहरू हिंदुओं को दबाते थे और उन्हें दबाने के लिये तरह–तरह के तिकड़म करते थे। इस तरह नेहरू और पटेल के बीच में बड़ा वैचारिक फर्क था। पटेल अति राष्ट्रवादी होते हुये भी नेहरू की अपेक्षा अधिक ईमानदार थे और स्पष्ट वक्ता थे। पटेल की तुलना में नेहरू बहुत अधिक चालाक थे।

सावरकर राष्ट्रवादी विचारधारा के नेता थे। उनको देश भक्ति और समाज की समान रूप से चिंता थी। सावरकर में हिंदुत्व कूट–कूट कर भरा था लेकिन वचन निर्वहण के मामलें में सावरकर को भीष्म पितामह के समान माना जाता है। उन्होंने जेल में अंग्रेजों को जो वचन दिया था उस वचन को उन्होंने जीवन भर निभाया। यह सावरकर की एक कमजोरी मानी जा सकती है। गोडसे उपरोक्त सभी नेताओं में अधिक राष्ट्र भक्त था। गोडसे मोटिवेटेड थे किसी और से प्रेरित होकर और बल पाकर काम करने वाला थे, मोटीवेटर नहीं। सावरकर गोडसे को मोटिवेट करते थे। गोडसे ने किसी विचारधारा के अंध समर्थन में आकर ही गांधी की हत्या जैसे मूर्खतापूर्ण कार्य को अंजाम दिया। स्पष्ट है कि गोडसे यदि उस गलत विचारधारा में ना फंसते और गाधी के साथ जुड़े होते तो गोडसे नेहरू की अपेक्षा अधिक अच्छा प्रधानमंत्री सिद्ध हो सकते थे क्योंकि गोडसे को सत्ता का कोई लालच नहीं था। गोडसे किसी तरह से भ्रष्टाचारी नहीं था। इन पाँचों नेताओं में अनेक अच्छाइयां भी थी अनेक बुराईयां भी थी। जिनमें हम अंबेडकर को बुरा मान सकते हैं और पटेल को अच्छा। यद्यपि गोडसे की नीयत सबसे अच्छी थी लेकिन वह दूसरों की गलत नीति पर आधारित दिशा–निर्देशन पर आश्रित थी। सभी नेता गांधी की विचारधारा के विरुद्ध थे और गांधी से पिंड छुड़ाना चाहते थे। यह गोडसे की भारी मूर्खता थी कि उन्होनें निर्दोष गांधी की हत्या कर दी। गांधी हत्या ने हमारे राजनेताओं को मनमाना करने का अवसर दे दिया। लगभग दो साल बाद पटेल की भी मृत्यु हो गयी और पटेल के जाने के बाद नेहरू पूरी तरह तानाशाह बन गए क्योंकि इनके रास्ते में अब कोई रूकावट नहीं थी। गांधी भी चले गए थे और पटेल भी चले गए फलतः नेहरू को तानाशाही करने का अच्छा अवसर मिला।

यह बात पूरी तरह सच है कि देश के विभाजन का प्रस्ताव हमारे राजनेताओं ने मिलकर पास किया लेकिन गांधी के मरते ही सबने भारत विभाजन का सारा दोष गांधी पर डाल दिया। पटेल गांधी की बात सबसे अधिक मानते थे और इज्जत भी करते थे लेकिन पटेल ने भी कभी सामने आकर नहीं कहा कि विभाजन का प्रस्ताव हम लोगों का था ना की गांधी का। इस तरह पटेल ने भी भारत विभाजन के लिये गांधी को दोषी ठहराने में कोई कोर–कसर नहीं किया। गांधी के प्रति पटेल का यह कोई अच्छा व्यवहार नहीं था। नेहरू तो स्वार्थी थे ही लेकिन पटेल के इस कार्य को कलंकित माना जा सकता है। आज भी सरदार पटेल के भक्त गांधी को ही विभाजन का दोषी मानते हैं, पटेल को नहीं। यहां तक कि पटेल को अपना आदर्श मानने वाले राजनीतिक नेता भी नेहरू और इंदिरा के प्रति इतना बुरा भाव नहीं रखते जितना कि वे लोग गांधी के प्रति रखते हैं। यह माना जा सकता है कि नेता–नेता सब एक हो जाते हैं और किसी सामाजिक विचारक को कभी पसंद नहीं करते।

बेवजह बढ़ती हिंसा समाज के लिए खतरा –

18– समाज में लोगों के बीच आक्रोश और हिंसा भाव किस प्रकार हावी हो रहा है इसका जीता जागता उदाहरण इंडोनेशिया में फुटबॉल मैच के दौरान देखने को मिला। वहां दो स्थनीय टीमों में फुटबॉल मैच का मैत्रीपूर्ण आयोजन था जिसमें से एक टीम हार गई और अपने चहेते टीम की हार के बाद दर्शकों के बीच हिंसक टकराव शुरू हो गया। इस आपसी संघर्ष में लगभग 125 लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुये। इस टकराव की पहले से कोई योजना नहीं थी और ना ही टकराव का कोई खास कारण था। लोगों के बीच आपसी धार्मिक या राष्ट्रीय भेदभाव भी नहीं था। फिर भी आजकल इस तरह के टकराव आमतौर पर देखने को मिल जाते हैं।

ब्रिटेन में भी इसी तरह मैच हारने के बाद दंगे भड़क गये जो अब तक समाप्त नहीं हुए हैं। प्रायः देखा जाता है कि इस प्रकार की घटनाओं में आमतौर पर एक पक्ष मुसलमानों का होता है तो दूसरा पक्ष अन्य किसी भी धार्मिक समुदाय का, लेकिन ताज्जुब यह है कि इंडोनेशिया की घटना में दोनों ही पक्ष मुसलमान थे। स्पष्ट है कि इस प्रकार के दंगे करने के लिए वास्तव में धर्म या जाति अथवा अन्य कोई कारण नहीं होता बल्कि यह एक मानसिक विकृत्ति बन गयी है कि लोग यह सोचने लगे हैं कि पहले हमला करने वाला हमेशा जीतता है। ऐसी प्रवृत्ति तब और अधिक प्रभावी होती है जब इस प्रकार के हमलावर विपक्षी समूहों को दबाने में सफल हो जाते हैं। धीरे–धीरे यही प्रवृत्ति उनकी आदत बन जाती है और बिना कारण किसी भी बात पर यह लोग दूसरों से सीधा उलझ जाते हैं।

वैसे तो हिंदू आमतौर पर शांतिप्रिय होता है लेकिन किसी चीज की अति हो जाने पर मुकाबला करने के लिए भी तैयार रहता है। पिछले 75 वर्षों के इतिहास में भारत का आम मुसलमान जिस तरह कानून और संविधान की दुहाई देकर पूरे समाज को डरा कर रखता था उस भय में आज व्यापक बदलाव आ गया है। जब से कश्मीर शांत हुआ है तब से इन कट्टरपंथी मुसलमानों का मनोबल गिरता ही जा रहा है। स्पष्ट है कि अब नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद भारतीय मुसलमानों की सोच में व्यापक बदलाव आएगा, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी तो ईसाइयों में है जो अति मानवतावाद के नाम पर इस तरह के हिंसक वातावरण को रोकने की पहल नहीं कर सकते। ईसाइयों को अपराधियों के बचाव में अति मानवीय दृष्टिकोण अपनाने से बचना चाहिए। भारत के मुसलमानों को इस विषय पर समझदारी से काम लेना चाहिए। जिन बच्चो के माता–पिता बचपन से ही यह शिक्षा देते हैं कि गलत बात कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, उन माता–पिता को अपने बच्चो को यह संस्कार भी देने की जरूरत है कि अनावश्यक विवादों से बचना ही बुद्धिमानी है और इसी में सबकी भलाई है। यदि आप अपनी सोच में इस तरह का थोड़ा–सा बदलाव ला सकते हैं तो ऐसा करना आप और आपके बच्चों के लिए भी बेहतर होगा और बाकी दुनियाँ के लिए भी।

मोदी की नई अर्थ नीति से वैश्विक बाजार में सशक्त होता भारत –

19– आधुनिक तकनीक का उपयोग करने वाले युवा वर्ग के लिये बड़ी अच्छी सूचना मिली है कि अंबानी परिवार ने भारत में ऐसे लैपटॉप तैयार करने की घोषणा की है जो पूरी तरह भारत में ही निर्मित होंगे और उनकी कीमत भी बहुत कम लगभग 15,000 रूपये के आसपास ही होगी। यह लैपटॉप अगले 6 महीने में बाजार में आ जायेंगे और बिकने लगेंगे। अब तक हम विदेशी लैपटॉप करीब–करीब 25,000 रूपये की कीमत पर खरीदते थे। तकनीकी के क्षेत्र में भारतीय कंपनियां बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके पहले नेहरू परिवार भारतीय उद्योगपतियों से चिढ़ता था तथा विदेशों से आयात को प्रोत्साहन देता था। काग्रेस शासन का एक वह दौर था जब भारतीय उद्योगपतियों पर मनमाने टैक्स लगाए जाते थे और पर्यावरणवादियों को प्रोत्साहित करके उद्योग–धन्धों के मार्ग में बाधाएं पैदा की जाती थी। मानवाधिकार के नाम पर, अनेक नये श्रम–कानून बनाकर उद्योगों में हड़ताल करवाई जाती थी। उद्योगपतियों को शोषक और भ्रष्ट घोषित करके उन्हें बदनाम किया जाता था।

जब से नरेंद्र मोदी आए हैं इन्होंने पूरी अर्थ–नीति को पलट दिया है। इन्होंने गरीब और अमीर के बीच किसी भी प्रकार के संघर्ष को घातक माना है। हम तो पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं कि नेहरू परिवार तथा उनके चमचे भारतीय उद्योगपति अदानी और अंबानी को दिन–रात गालियां देते रहते हैं और इन गाली देने वालों को विदेशी कंपनियों से आर्थिक मदद की बात भी सामने आती रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने अदानी अंबानी को भरपूर सहयोग किया है। उसी का परिणाम है कि आज भारतीय उद्योगपति दुनिया के उद्योगपतियों से प्रतिस्पर्धा कर पा रहे हैं। 5 जी तकनीक जिस तेज गति से भारत में विकसित हुई यह भारतीय उद्योगपतियों के लिए गर्व की बात है। जिस तरह भारत सरकार भारतीय उद्योगों को बढ़ावा दे रही है उससे तो यही स्पष्ट होता है कि भारत आर्थिक मामलों में पूरी दुनियाँ में बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगा और भविष्य में ऐसी भी संभावना है कि भारतीय उद्योगपतियों को परेशान करने वाले नेहरू परिवार और उनके समर्थक खलनायक के रूप में देखे जाएंगे। अब भी समय है कि विदेशी कंपनियों के पक्ष में खड़े होकर अडानी, अंबानी या अन्य भारतीय उद्योगपतियों को बदनाम करने की खतरनाक अर्थ–नीति से नेहरू परिवार अपने को दूर कर लें क्योंकि अब भारत आर्थिक मामलों में दुनियाँ के सामने भिखारी के रूप में नहीं बल्कि दाता के रूप में खड़े होने की तैयारी कर रहा है।

महिला सशक्तिकरण परिवारों को तोड़ने वाला एक कु–अभियान–

20– आजकल महिला सशक्तिकरण का नारा बड़े जोर–शोर से लगाया जा रहा है। मैंने इसके खिलाफ एक पोस्ट लिखी थी जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने मेरे विचार से असहमति व्यक्त की। असहमति व्यक्त करना अथवा किसी विचार के विरूद्व मत

रखना किसी व्यक्ति का अपना मौलिक अधिकार है और विचार–मंथन की स्वस्थ परंपरा के सर्वथा अनुकूल भी, लेकिन इस संदर्भ में मैंने जो अपना अनुभव किया, वह मैंने लिखा। 70 वर्षों तक लगातार कांग्रेस पार्टी परिवारों को तोड़ने के कुचक्र में लगी हुई थी। उसने परिवार में महिला और पुरुष के बीच में भेद पैदा करके टकराव खड़ा किया और महिला सशक्तिकरण का नारा दिया। महिला सशक्तिकरण का नारा पश्चिम से आया हुआ है जो कि पूरी तरह से गलत है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस नारे में अपना भविष्य बहुत अच्छा दिखा कि इससे परिवार टूटेंगे और पुरुषों को कटघरे में खड़ा किया जा सकेगा। ब्लैकमेल करने वाली कुछ दबंग टाइप की महिलाएं कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी हो जाएंगी। इस बात की लगातार कोशिश की गई कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर परिवार और समाज में भेदभाव बढ़ाया जाए। मैंने खुद देखा कि दिल्ली में राज घाट के रास्ते में एक बोर्ड लगाया गया था जिसमें लिखा था कि महिलाओं पर अत्याचार कानूनन अपराध है।

किसी पर भी अत्याचार करना कानूनन जुर्म है। फिर भी किसी ने आज तक यह नहीं पूछा कि समाज में किसके ऊपर अत्याचार करने की कानूनन छूट है। अत्याचार को महिला–पुरूष के बीच में बांटने की क्या जरूरत थी। समाज में सबको पता है कि भ्रूण हत्यायें होती है फिर अलग से कन्या भ्रूण हत्या लिखने की क्या जरूरत थी। भ्रूण हत्या को ही आप गलत सिद्ध कर देते। वैसे भी आमतौर पर बालक भ्रूण हत्यायें नहीं होती है। दहेज प्रथा के खिलाफ अनावश्यक कानून बनाने की क्या जरूरत थी जबकि दहेज लेना–देना किसी भी प्रकार से गलत नहीं है। दहेज लेना–देना कोई अपराध नहीं है। सरकार ने वैश्यालयों के खिलाफ कानून बना दिए, सरकार ने व्यभिचार को बलात्कार सिद्ध कर दिया, महिला सशक्तिकरण के नाम पर जिस तरह सरकार ने ब्लैकमेलर महिलाओं को मजबूत किया वह समाज के लिए अत्यंत घातक है। मैं पिछली सरकार के द्वारा सामाजिक विषयों में किए गए उपरोक्त अनावश्यक कानूनी हस्तक्षेप के खिलाफ हूँ। मैं सामाजिक विषयों पर सुधार के नाम पर किये गये आधे–अधूरे सरकारी प्रयासों के पूर्णतः खिलाफ हूँ। मैं समाज को महिला और पुरुष के बीच में विभाजित करने के पक्ष में नहीं हूँ। मेरे विचार से महिला हो या पुरुष सबको प्रवृत्ति के आधार पर ही अलग–अलग होना चाहिए। संतुलित समाज व्यवस्था के लिये अच्छे और बुरे के बीच भेद होना चाहिए ना कि महिला और पुरूष के बीच। किसी भी प्रकार की भेद–भाव पूर्ण नीति को अपनाना उचित नहीं है। लेकिन इनका राजनैतिक स्वार्थ कहता है कि महिला और पुरूष अलग–अलग है। मेरा मानना है कि महिला हो या पुरूष, बच्चे हो या बूढ़े, नौजवान हो या नवजात शिशु, सभी परिवार के सदस्य है और इन सबसे मिलकर कोई परिवार बनता है। इस लिये परिवार सशक्तिकरण होना चाहिए। परिवारों को समाज की प्राथमिक इकाई की संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिये थी। लेकिन परिवारों को तोड़ने का जो पश्चिम का नारा धीरे–धीरे भारतीय समाज में प्रचलित हो रहा है वह

भारत के लिये कोई अच्छी बात नहीं है।

मैं वर्तमान भारत सरकार से यह निवेदन करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने भारतीय परिवारों को तोड़ने का जो कार्य शुरू किया है वह कार्य हमारी सामाजिक एकता, हमारी पारिवारिक एकता एवं हमारी मूल संस्कृति को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। यदि परिवार में पति और पत्नी के बीच ही अविश्वास की दीवार खड़ी हो गई तो बच्चे पर इसका कितना दुष्प्रभाव होगा, उनकी परवरिश कैसे होगी, उनके संस्कार कैसे होंगे आदि–आदि अनेक प्रश्न खड़े होते है और इस बात पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। इसलिए मेरा फिर निवेदन है कि आप प्रतिक्रिया व्यक्त करने से पहले गंभीरता से सोचिए। पिछली सरकार ने 70 वर्षों तक लगातार महिला सशक्तिकरण के नाम पर जो मुहिम चलाई है और जिसका अनुकरण वर्तमान सरकार भी उसी तरह आंख बंद करके कर रही है. वह अत्यंत घातक है।

गांधी, मोदी और भागवत की त्रिवेणी देश और हिंदुत्व को नई दिशा देती हुई– 21– अपने प्रारंभिक जीवन काल से ही मैं दो विपरीत समूहों से एक साथ जुड़ा रहा हूँ। मेरा संघ से भी अच्छा संबंध रहा है और गांधीवादियों से भी। मैं पूरी तरह अहिंसा, सत्य, लोक स्वराज्य, राजनीतिक तथा आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण, वर्ग–संघर्ष की जगह वर्ग–समन्वय, श्रम सम्मान जैसे प्रमुख विचारों से जुड़ा रहा जो लगभग सभी गांधीवाद के काफी निकट और संघवाद के प्रायः विरुद्ध रहे। मैं प्रारंभ से ही साम्यवाद, इस्लामिक कट्टरवाद तथा नेहरू परिवार की सत्ता लोलुपता के विरुद्ध रहा। जबकि स्वतंत्रता के बाद गांधीवादी इस त्रिगुट के पूरी तरह पक्ष में थे और संघ परिवार इन तीनों के विरुद्ध। यही कारण था कि मैं घटनाओं के आधार पर संघ और गांधीवादियों में से किसी के पक्ष और किसी के विपक्ष में खड़ा रहा। मैं लगातार देख रहा था कि संघ परिवार पर सावरकरवादियों का लगभग एकाधिकार है। मैं सिर्फ इस्लामिक संस्कृति को गलत मानता था, मुसलमानों को बिल्कुल नहीं। मैं समाज में बढ़ती हिंसा के विरुद्ध था और राज्य को अधिकतम हिंसा करने का समर्थक था। मैं गांधी की 'राज्य को न्यूनतम हिंसा का सहारा लेना चाहिए' की नीति के पूरी तरह विरुद्ध रहा हूं और यह भी सच है कि मैं गांधी का पूरा प्रशंसक था।

दूसरी ओर, संघ सामाजिक हिंसा पर भी विश्वास रखता था और उसके सभी कार्यकर्ताओं का सूर्योदय ही गांधी के विरोध से शुरू होता था और रात तक गांधी को गाली देने के अलावा उनके पास कोई प्रमुख कार्य शेष नहीं था। गांधीवादियों पर साम्यवाद का पूरा प्रभाव था। गांधीवादी नक्सलवादियों से लेकर मुस्लिम आतंकवादियों तक का पूरा समर्थन करते थे। गांधीवादी दिन रात वर्ग–संघर्ष को बढ़ाते रहते थे क्योंकि वर्ग–संघर्ष साम्यवाद का सबसे प्रिय कार्य है। चूंकि मैं इनसे पूरी तरह सहमत नहीं होता था इसलिए मैंने अपना अलग मार्ग चुना जिसमें संघ परिवार की अच्छाइयां भी मिली थी और गांधी की अच्छाइयां भी। मैं जानता हूँ कि संघ परिवार तथा गांधीवादियों के एक बड़े ग्रुप द्वारा लगातार मेरे

प्रयत्नों का विरोध किया जाता है। लेकिन मैं लगातार आगे बढ़ता गया। आज मुझे खुशी है कि मोहन भागवत के नेतृत्व में संघ परिवार सावरकरवादियों की लाइन से दूर होता जा रहा है। जिस तेजी से भागवत जी वर्ग–समन्वय तथा कानून के सम्मान की बात समाज के बीच में रख रहे हैं उसने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं अपनी संघ विरोधी अवधारणा को बदलकर संघ के साथ एकजुट हूँ। गांधीवादी आपस में कई गुटों में बंट गए हैं और उनमें भी एक महत्वपूर्ण समूह का साम्यवाद, इस्लाम और कांग्रेस के त्रिकूट से मोहभंग हो रहा है। गांधी का हिंदुत्व और संघ का हिंदुत्व मिलकर समरस बन रहे हैं। यह बहुत खुशी और संतोष की बात है। अब हिंदुत्व की यह दोनों मान्यताएं एकजुट होकर नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के नेतृत्व में पूरी दुनियाँ को हिंदुत्व का संदेश दे सकेंगे ऐसा मुझे पूरा विश्वास हो गया है। मैं चाहता हूँ कि इस संबंध में समाज में खुलकर चर्चा होनी चाहिए।

समाज सर्वोच्च की स्वीकार्यता मोहन भागवत का एक प्रशंसनीय कदम –

22 – एक दिन मैंने मोहन भागवत जी का भाषण सुना। उन्होंने अपने भाषण में पहली बार अपने कार्यकर्ताओं को समाज की सर्वोच्चता की बात बताई। उन्होंने धर्म की सर्वोच्चता या राष्ट्र की सर्वोच्चता पर कुछ नहीं कहा। संघ की विचारधारा में यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है। सच्चाई यह है कि हिंदू कभी भी धर्म नहीं बल्कि समाज की सर्वोच्चता पर विश्वास करता है। लेकिन इस्लामिक खतरे को बहुत महत्वपूर्ण मानने के कारण, बचाव में हिंदुओं ने धीरे–धीरे अपने को धर्म मानना शुरू कर दिया। धर्म और राष्ट्र किसी मान्यता अथवा भौगोलिक सीमा तक ही सीमित रहते हैं। जबकि हिंदुत्व एक विचारधारा है जो पूरे विश्व को अपना संदेश देती है। हिंदुत्व कभी संगठनात्मक अथवा भौगोलिक सीमाओं को नहीं मानता। भागवत जी ने जो संदेश दिया है वही वास्तविक हिंदुत्व है और वही वास्तव में संघ की मूल विचारधारा है। वैसे तो इस संबंध में बहुत पहले ही संघ ने सोचना शुरू कर दिया था लेकिन उस समय भारत में कांग्रेस, कम्युनिस्ट और इस्लाम का त्रिगुट हिंदुत्व की मूल पहचान समाप्त करना चाहता था। इसलिए चाहे योजना बनाकर या परिस्थिति वश संघ ने सुरक्षात्मक हिंदुत्व का मार्ग चुना। संघ अन्य सब काम छोड़ कर इस त्रिगुट का लगातार विरोध करता रहा। मैं समझता था कि संघ जिस दिशा में चल रहा है वही उसकी वास्तविक अवधारणा है। इसलिए मैं संघ के साथ संबंधों में सावधानी के साथ तालमेल करता था। मैं लगातार इस त्रिगुट का तो विरोध करता था लेकिन मैं आदर्श की दिशा को भी जीवित रखना चाहता था। संघ में जो बदलाव आया था वह बदलाव ही संघ–हिंदुत्व की वास्तविक विचारधारा है और मुझ जैसे साथियों को संघ की बदली हुई विचारधारा के साथ पूरी–पूरी सहभागिता करनी चाहिए। मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी मिलकर सिर्फ देश या धर्म की चिंता नहीं कर रहे हैं बल्कि संपूर्ण समाज की चिंता कर रहे हैं। 'समाज सर्वोच्च है'– यह धारणा लगातार मजबूत होनी चाहिए।

तानाशाही पुतिन पर भारी पड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था –

23– समाज का स्थान राष्ट्र से ऊपर होता है। विश्व व्यवस्था पूरे समाज की मानी जाती है। दुनियाँ में तानाशाही को सबसे बुरी व्यवस्था माना जाता है, इसीलिए जब तक देश को बहुत बड़ा नुकसान होने की सम्भावना नहीं दिखता हो तब तक तानाशाही का समर्थन नहीं करना चाहिए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन हिटलर और मुसोलिनी के मार्ग पर चलकर सारी दुनियाँ को गुलाम बनाना चाहते हैं। भले ही रूस हमारा मित्र राष्ट्र है लेकिन आंख बंद करके पुतिन का समर्थन करना भी ठीक नहीं है।

पुतिन ने तानाशाही तरीके से यूक्रेन पर आक्रमण किया। बेचारा यूक्रेन छटपटाता रहा पर रूस की आक्रामकता में कोई कमी नहीं आई। हालांकि दुनियाँ के अनेक देशों ने यूक्रेन का समर्थन किया। भारत परिस्थितिवश तटस्थ रहा। मैं तो दिल से चाहता था कि पुतिन परास्त हो जाए। सौभाग्य से अब मेरी इच्छाएं पूरी होती दिख रही है। भारत में बड़ी संख्या में हिटलरवादी हिंदू पुतिन के पक्ष में लगातार खड़े रहे। हमारे एक मित्र उत्तर काल तो दिन रात पुतिन को चने के झाड़ पर चढ़ाते रहे हैं। वह रोज लिखते रहे कि अब ईरान आ रहा है, चीन भी युद्ध में कूदेगा और यूक्रेन बर्बाद हो जाएगा, अमेरिका का नामोनिशान नहीं रहेगा आदि–आदि। पता नहीं, सपने में वे क्या–क्या बड़बड़ाते रहते थे। लेकिन अब यथार्थ यही है कि रूस की जमीन पर यूक्रेन लगातार कब्जा कर रहा है। अगर पुतिन ने अपनी तानाशाही जिद नहीं छोड़ी तो यूक्रेन कहाँ तक बढ़ जाएगा, उसकी कोई सीमा नहीं है। दुनियाँ को कमजोर समझ कर बल प्रयोग से यूक्रेन को दबा देने की पुतिन की इच्छाएं कब्र में लटकती दिख रही है। आज की वर्तमान परिस्थितियों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। लोकतंत्र की ताकत तानाशाही और हिटलरवाद को पूरी तरह कुचल दे, यही आज की आवश्यकता है। भारत सरकार बिल्कुल ठीक दिशा में कदम उठा रही है। वह मित्रता भी निभा रही है और साथ में लोकतंत्र के पक्ष में डट कर खड़ी भी है।

'सर्वे भवंतु सुखिनः' और 'वसुधैव कुटुंबकम' वाला हिंदुत्व–

24– हम हिंदू हैं और हिन्दु होने के नाते हम अपने को किसी देश या संगठन की सीमाओं से बंधा हुआ नहीं मानते। हम यह मानते हैं कि हम मनुष्य हैं और समाज के अंग है। जब तक कोई दूसरा पक्ष हमारी स्वतंत्रता पर आक्रमण नहीं करता तब तक हम किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे। हम न गुलाम बनेंगे, ना किसी को गुलाम बनायेंगे। यही हमारा प्राचीनतम आदर्श रहा है। इस्लामी संस्कृति के अनुसार वह गुलामी सह नहीं सकता है, किसी को गुलाम बना कर रख सकता है। साम्यवाद अपनी व्यवस्था में व्यक्ति को गुलाम बनाकर ही रखता है, साम्यवादी किसी की गुलामी सह नहीं सकता। हिंदू न गुलाम बना कर रख सकता है और ना गुलाम हो सकता है। विशेष परिस्थिति आने पर ही वह गुलामी सह भी सकता है जो अच्छी

बात नहीं है किंतु मजबूरी है। हमने गुलामी सहने और गुलाम बनाने में से गुलाम बनाने को सबसे ज्यादा बुरा माना है। इसलिए हमारी जो हिंदू संस्कृति है उस पर जब तक कोई खतरा ना उपस्थित हो जाये तब तक हमें अपनी सीमाओं को समझ कर चलना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद साम्यवाद, इस्लाम और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर हमारे अस्तित्व पर संकट खड़ा कर दिया था। हम चुपचाप 70 वर्षों तक गुलाम की भांति रहे, हमें दूसरे दर्जे का नागरिक बना कर रखा गया, लेकिन अब हम स्वतंत्र हो गए हैं। हमें अपनी गुलामी की याद भूल जानी चाहिए और भविष्य में हमें फिर से यह याद रखना चाहिए कि हम हिंदू हैं, हम किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे, हम बलपूर्वक अपना विस्तार नहीं करेंगे, हम साम्यवाद और इस्लाम दोनों तरफ से सावधान तो रहेंगे लेकिन साम्यवाद और इस्लाम को भी हम बलपूर्वक गुलाम बनाने की कोशिश कभी नहीं करेंगे। हम "जियो और जीने दो" की नीति पर विश्वास करते हैं क्योंकि हम हिंदू हैं और हमें अपने हिंदू होने पर गर्व है। हिंदू भौगोलिक रूप से मात्र भारत की सीमाओं से ही बंधा हुआ नहीं है बल्कि हिन्दुत्व का वैचारिक विस्तार तो सारे संसार का कल्याण चाहना और विश्व भ्रातृत्व का भाव विस्तार करना है। "वसुधैव कुटुम्बकम्" की प्राचीनतम मान्यता अपने देश में ही सर्वप्रथम स्थापित हुई। हिन्दु किसी खास मान्यता से बंधे हुये नहीं होते हैं। किसी धर्म ग्रंथ से भी वे बंधे हुये नहीं हैं। हिंदू मानसिक और वैचारिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र ही रहेंगे। हिन्दू तो पुरी दुनियाँ को अपना घर मानता है। दुनियाँ के सभी धर्म ग्रंथों के प्रति आदर रखता है और सबको धार्मिक स्वतंत्रता देना चाहता है। किसी भी मान्यता को बलपूर्वक समाप्त करने का वह पक्षधर नहीं है।

इसलिए मेरा आप सभी मित्रों को यह विनम्र संदेश है कि हम कभी आक्रामक भाषा का उपयोग ना करें। हमे किसी भी परिस्थिति में हिटलरवाद, साम्यवाद या इस्लाम का समर्थन नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा लोकतंत्र के पक्ष में खड़ा होना चाहिए क्योंकि हिंसा और बल प्रयोग की तुलना में लोकतंत्र कम बुरा है। रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण तानाशाही का एक घिनौना उदाहरण है। रूस को इस हरकत की सजा मिलनी चाहिए। दुनियाँ रूस को इसका दंड भी दे रही है। हम हिंदू हैं अतः हमें तानाशाही का विरोध करना चाहिए। कभी ऐसी परिस्थिति आ जाये कि हमें मित्र और न्याय के बीच में से कोई एक चुनने का विकल्प मिले तो हमें संतुलन बनाते हुये कदम बढ़ाने की जरूरत है।

आखिरकार 'सर्वे भवंतु सुखिनः' की अवधारणा हम हिंदुओं की ही तो रही है।